पासपोर्ट साइज

फोटो चस्पा करें।

सचिवालय प्रवेश–पत्र हेतु आवेदन का प्रारूप

1. पत्र प्रतिनिधि का नाम– ....

2. पिता/पति का नाम– ....

3. समाचार पत्र/एजेंसी का नाम– ....

4. पदनाम– ....

5. स्थानीय पता एवं दूरभाष नं0– ....

....

6. पुराने प्रवेश–पत्र की संख्या/अवधि– ....
(नया आवेदन हो तो नया लिखें)

सम्पादक
(नाम व मोहर सहित)

नोटः—सचिवालय प्रवेष पत्र हेतु निर्धारित पात्रता एवं षर्तः–

1. राज्य स्तरीय समस्त मान्यता प्राप्त पत्रकार, सचिवालय/विधान सभा प्रवेष पत्र के लिए पात्र होंगे।
2. प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर से प्रकाशित ऐसे दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जो सूचना विभाग में सूचीबद्ध हो, जिनके प्रकाशन की अवधि घोषणा–पत्र के अनुसार 02 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा उनके समाचार पत्र से किसी भी प्रतिनिधि को राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त न हो, के सम्पादक को अथवा सम्पादक की (संलग्नक निर्धारित प्रारूप पर) संस्तुति/सहमति प्राप्त होने पर उनके एक प्रतिनिधि/एक फोटोग्राफर को सचिवालय/विधान सभा प्रवेश पत्र निर्गत किये जाने की विभागीय समिति द्वारा संस्तुति की जायेगी।
3. इलैक्ट्रॉनिक चैनल, जिनके किसी भी प्रतिनिधि को राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त न हो तथा विभाग में सूचीबद्ध हो, के एक संवाददाता तथा एक कैमरामैन को उनके संस्थान के चैनल हैड/ब्यूरो चीफ की (संलग्नक निर्धारित प्रारूप पर) संस्तुति/सहमति प्राप्त होने पर सचिवालय/विधान सभा प्रवेष पत्र निर्गत किये जाने की विभागीय समिति द्वारा संस्तुति की जायेगी।
4. किसी भी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के प्रबन्धक आदि जिनका सम्बन्ध समाचारों के लिए नियमित सूचना प्राप्त करने से नहीं है, को पास निर्गत नहीं किया जायेगा। यदि किसी कार्य विषेष से उन्हें सचिवालय/विधान सभा जाना हो, तो उनके द्वारा सम्पर्क करने पर उनका दैनिक पास बनाये जाने हेतु उन्हें प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय के दूरभाष नं. 0135–2711069/2711064 तथा विधान सभा के लिए प्रभारी, मीडिया सेंटर दूरभाष नं. 0135–2666767 से सम्पर्क करना होगा तथा संबंधित को दैनिक प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय/विधान सभा द्वारा पास कार्यालय से अनुरोध किया जायेगा।
5. सम्बन्धित प्रतिनिधि को उनके संस्थान द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. समाचार पत्र का घोशणा पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तथा चैनल हेतु चैनल के अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. पत्र प्रतिनिधि को पासपोर्ट साइज 1.5X1.5 आकार का अद्यतन एक फोटो आवेदन पत्र के निर्धारित सीन पर चस्पा करने के साथ ही फोटो संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।

संस्तुति / सहमति पत्र

(राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों को छोड़कर)

वर्ष 2017 में सचिवालय प्रवेश हेतु हमारे समाचार पत्र / संस्थान की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री.. को सचिवालय प्रवेश पास निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

सम्पादक / चैनल हैड
(नाम व मोहर सहित)